प्रतिभाओं को चुनने में कॉलेजियम की अग्निपरीक्षा

SPRF.IN

०४
२३

| विवेक वार्ष्णेय

कमेंट्री

Cover Image credits: *wikimedia commons*

If you have any suggestions, or would like to contribute, please write to us at contact@sprf.in

© Social Policy Research Foundation™

अप्रैल, २०२३

कमेंट्री

प्रतिभाओं को चुनने में कॉलेजियम की अग्निपरीक्षा

| विवेक वार्ष्णेय

फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई। नियुक्तियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठi वकील के बयान ने कानूनी जगत में हलचल मचा दी। वरिष्ठ वकील का कहना था कि इनमें से एक जज ऐसे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अपने समूचे कार्यकाल में एक भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग(एनजेएसी) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जून 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीशों के नाम सुर्खियों में रहे थे। तत्कालीन अटार्नी जनरल ने भरी अदालत में पूर्व न्यायाधीशों का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कुछेक ही जजमेंट दिए लेकिन फिर भी उन्हें पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया।

कॉलेजियम सिस्टम की उपयोगिता, उसकी सफलता और असफलता को मापने के लिए इन दो तथ्यों का जिक्र जरूरी है। इन तथ्यों से एक अहम सवाल उठता है कि जब कॉलेजियम सिस्टम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इतना अहम बताया जा रहा है और यह भी कहा जाता है कि उम्मीदवार की काबिलयत को परखने में जज ही सर्वाधिक सक्षम हैं तो फिर अक्षम या कम योग्यता रखने वाले वकील जज की पदवी तक कैसे पहुंच जाते हैं, या हाई कोर्ट के लम्बे कार्यकाल के दौरान अपनी औसत कार्यक्षमता के बावजूद कुछ जज सुप्रीम कोर्ट तक प्रमोशन कैसे पा जाते हैं।

नियुक्तियों में 'गिव एंड टेक' के आरोप में कितनी सच्चाई

कॉलेजियम पर भाई-भतीजावाद और 'गिव एंड टेक' के आरोप भी लगते रहे हैं। कॉलेजियम के सदस्य पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों के परिजन को तरजीह देते हैं, यह आरोप कॉलेजियम पर लगातार लगते रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिन तीन न्यायाधीशों का जिक्र गया है, वह कॉलेजियम के माध्यम से ही देश की शीर्षस्थ अदालत के जज बने। कॉलेजियम ने उन्हें किस आधार पर चुना? हाई कोर्ट में उनके कार्यकाल का आकलन करके या किसी अन्य वजह से?

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमण का अपनी सेवानिवृत्ति पर दिया गया सार्वजनिक बयान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तत्कालीन सीजेआई ने कहा था कि क्रिकेट के मैच में दर्शक हर गेंद पर छक्का चाहते हैं लेकिन बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकता। उसे गेंद को देखकर ही शॉट लगाना होता है। कॉलेजियम द्वारा नियुक्तियों के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी।

जस्टिस रमण का बयान अपने आप में कई रहस्यों से पर्दा हटाता है। कॉलेजियम को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए सर्वेसर्वा माना जाता है लेकिन क्या न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका की भी भूमिका होती है। 'गिव एंड टेक' के जरिए भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं? उपरोक्त संदर्भों से ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेजियम वरिष्ठता और योग्यता के अलावा अन्य कारकों पर भी गौर करता है।

सुप्रीम कोर्ट में केवल 34 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। कॉलेजियम के पास देश के 25 हाई कोर्ट में कार्यरत लगभग 800 न्यायाधीशों का पूल होता है जिनकी कार्यक्षमता और दक्षता को मापा जा सकता है। इनमें 25 जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं जो पदोन्नति की दौड़ में सबसे आगे होते हैं। लेकिन कई बार प्रतिभावान जज शीर्ष अदालत तक नहीं पहुंच पाते और यहीं कॉलेजियम की विफलता या विवशता सामने आती है।

ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों का सदुपयोग नहीं

देश की न्याय व्यवस्था में जिला अदालतों की अहम भूमिका है। देशभर की जिला अदालतों में मूलभूत सुविधाएं समान रूप से अभी भी पूरी तरह मुहैया नहीं कराई गई हैं। अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों को विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जिला अदालतों में न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा के जरिए जज भर्ती किए जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ एक तिहाई पदों पर ही इन्हें पदोन्नत किया जाता है। यदि हम दिल्ली हाई कोर्ट का उदाहरण दें तो यहां न्यायाधीशों के कुल 60 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 20 पदों पर ही जिला अदालतों के न्यायाधीशों को पदोन्नति देकर जज बनाया जा सकता है। एक तिहाई पद की सीमा की कोई खास वजह नहीं बताई जाती है। इस सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। यदि हाई कोर्ट के 50 प्रतिशत पद जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं तो प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को अधिक तादाद में पदोन्नति मिल सकेगी। दरअसल, ट्रायल कोर्ट या जिला अदालतों में न्यायाधीशों के विशाल पूल के सदुपयोग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उनके लम्बे अनुभव का उपयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है। जिला अदालतों में कार्यरत न्यायाधीशों को उनकी सेवा के अंतिम पड़ाव में पदोन्नति देकर हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। वह चार-पांच साल ही हाई कोर्ट में काम कर पाते हैं। जिला अदालतों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को 20-25 साल की सेवा के बाद 50-52 साल की उम्र में पदोन्नति मिल जाएं तो वह अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगें। हाई कोर्ट के जज के रूप में वह 10-12 साल तक काम कर सकेंगे। उनके कार्यकाल का आकलन निष्पक्ष ढंग से किया जाए तो जिला अदालतों में कार्यरत काफी जज पदोन्नति के हकदार होते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम के पास उनके कामकाज का सारा रिकॉर्ड होता है। हाई कोर्ट के जज जिला अदालतों के न्यायाधीशों के कामकाज का परीक्षण करते हैं। हर

साल उनकी ग्रेडिंग की जाती है। हाई कोर्ट कॉलेजियम जिला अदालतों में कार्यरत न्यायाधीशों के विशाल पूल से प्रतिभावान न्यायिक अधिकारियों का चयन कर सकता है।

कॉलेजियम और आम नागरिक

प्रतिभाशाली एवं दक्ष न्यायाधीशों की कमी का खामियाजा साधारण वादकारियों को भुगतना पड़ता है। कानून की बारीकियों को समझने वाले प्रतिभाशाली जज विवादों का निपटारा तेजी से करते हैं। उच्च अदालतों में कार्यरत सभी न्यायाधीशों के कामकाज का लेखा-जोखा तैयार नहीं किया जाता। यह विडम्बना है कि जिला अदालतों में कार्यरत न्यायाधीशों की समीक्षा हाई कोर्ट करता है लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कामकाज की समीक्षा का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। अदालतों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा जज कानून का ज्ञाता है। वह मुकदमों को बिना देरी के निपटा देता है। इससे जनसाधारण को न्याय जल्द सुलभ होता है।

हाई कोर्ट में रिक्त पड़े पदों को भरने में अनावश्यक देरी

हाई कोर्ट के 1100 से अधिक पदों में से 300 से अधिक रिक्त पड़े हैं। फरवरी 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि 1108 पदों में से 333 खाली पड़े हैं। 191 पदों के लिए कॉलेजियम से कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है। न्यायाधीशों की कमी से मुकदमों का अंबार खड़ा हो रहा है। लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। तीन चरण की न्यायपालिका में चार करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। भारतीय अदालतें देरी से न्याय के लिए दुनियाभर में जानी जाती हैं। कॉलेजियम को रिक्त होने वाले पदों का पहले से पता होता है। यदि रिक्त पदों को भरने के लिए छह माह पूर्व ही कवायद शुरू कर दी जाए तो समय पर नियुक्तियां संभव हो सकती हैं और इससे अदालतों में न्याय जल्द मिल सकेगा।

REFERENCES

1. Farewell speech of Chief Justice NV Ramana, Dated 26th August, 2022
2. Statement of Union Law and Justice Minister in Parliament Dated 3rd February, 2023
3. Speech of Former President of Supreme Court Bar Association Dushyant Dave in Seminar Organized by Live Law. Dated 21st February, 2023
4. Arguments of Attorney General Mukul Rohatgi in Supreme Court Advocate on records Association Vs Union of India in NJAC case, Dated June 2015
5. The NJAC Vs collegium debate- Vedant Chaudhary, Economic and political weekly, Vol.58 issue no. 4, 28 January,2023
6. Judicial Primacy and Basic Structure, A legal Analysis of NJAC judgment by Arghya Sengupta, Economic and Political Weekly, Vol.50, issue no. 48, November 2015
7. First Judge Case-SP Gupta and others Vs Union of India 1982, 2SCR 365(AIR 1982 SC, 149) Supreme Court of India, 1981
8. Second Judge Case-Supreme court Advocate-on-record Association and another Vs Union of India, Supreme Court of India, 1993
9. Law Commission 214th report(2008)
10. Article 124(2) and 217(1) of Constitution of India
11. Third Judge Case-Supreme court Advocate-on-record Association and another Vs Union of India, Supreme Court of India, 1998
12. W.P.(C) No.-000013-000013 / 2015, Supreme Court Advocates-On-Record Association Vs Union Of India, Supreme court of India Dated 16-10-2015
13. Report of National Commission to review the working of constitution of India, Headed by ex Chief Justice of India-MN Venkatchallia, Report submitted in 2002, Volume 1, Chapter7
14. The Judicial Appointments Commission Bill, 2013, 64th report of Department-related parliamentary standing committee on personnel, public grievances, Law and Justice

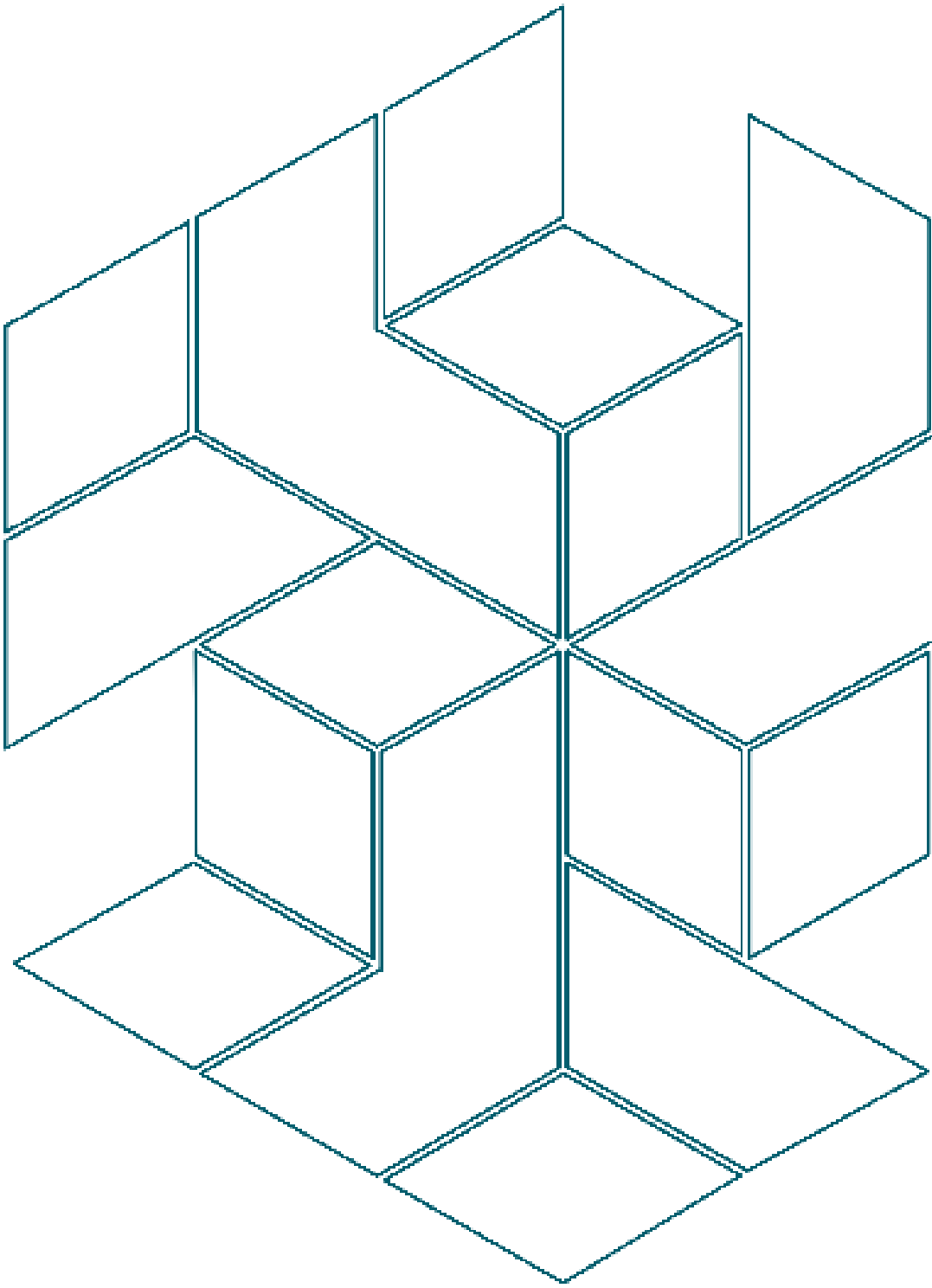

SPRF.IN